न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 117/2020
GCMSNo.- : 2020/00263

–: वादी :–

1. शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल जाति भाम्बी निवासी ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजेमर।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथा
2. श्रवण पुत्र चौथा
3. नारायणी पुत्रि चौथा
4. सुन्दरी पुत्रि चौथा
5. कमली पुत्रि चौथा
6. मतिया पुत्रि चौथा
7. सन्तु पुत्रि चौथा
8. गणकी पत्नि कालू
9. नोरती पुत्रि कालू
10. धीरकी पुत्रि कालू ना.बा.की वली गणकी पत्नि कालू
11. रामा पुत्र उंकार
12. गिरधारी पुत्र उंकार कौम गुर्जर साकिन खातेदार ग्राम दृ खेड.ा तहसील .जैतारण जिला.पाली (राज.)
13. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.23/10/2020

उपस्थित:. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::–   दिनॉक:– 12/09/2022

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय .भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र .रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 2312 रकबा 0 बीघा 19 बिस्वा किस्म सेवज दोयम की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 38/48 हिस्से यानि 0 बीघा 09 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैमगर वादीगणव प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा । वर्तमान जमाबन्दीसम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीको हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 38/48 हिस्से यानि 0 बीघा 09 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग सें कब्जा व काश्त है वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.09.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही हैवादी अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 30.09.2020 को वादीद्वारा प्रतिवादीगण कोवादीगण के हिस्से की भूमिका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करनेएवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 12 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर करं मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी बरुबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 2312 में वादी के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2312 रकबा 00-19 बीघा किस्म सेवज दोयम में वादी के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगांन अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/386 दिनांक 17/02/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/5090 दिनांक 02.08.2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

जमीन खसरा नम्बर 2312 रकबा 00–19 बीघा किस्म सेवज दोयम भूमि में वादी के हक हिस्से की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	शांतिलाल पुत्र भंवरलाल जाति– भांबी ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया ब्यावर जिला अजमेर खातेदार.	2312	0.0769	से0दो0	0.10
2	जैती उर्फ तेजी पत्नी चौथा हि. 1/16, श्रवण पुत्र चौथा हि. 1/16, नारायणी पुत्री चौथा हि. 1/16, सुन्दरी पुत्री चौथा हि. 1/16, कमली पुत्री चौथा हि. 1/16, मतिया पुत्री चौथा हि. 1/16, सन्तु पुत्री चौथा हि. 1/16, गणकी पत्नी कालू हि. 1/48, धीरकी पुत्री कालू हि. 1/48, नोरती पुत्री कालू हि. 1/48, रामा पुत्र उंकार हि. 1/4, गिरधारी पुत्र उंकार हि. 1/4, जाति गुर्जर सा. ढाणी खेड़ा खातेदार।	2312/3	0.0202	से0दो0	0.03

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/09/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल जाति भाम्बी निवासी ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजेमर।

1. जेती उर्फ तेजी पत्नि चौथा
2. श्रवण पुत्र चौथा
3. नारायणी पुत्रि चौथा
4. सुन्दरी पुत्रि चौथा
5. कमली पुत्रि चौथा
6. मतिया पुत्रि चौथा
7. सन्तु पुत्रि चौथा
8. गणकी पत्नि कालू
9. नोरती पुत्रि कालू
10. धीरकी पुत्रि कालू ना.बा.की वली गणकी पत्नि कालू
11. रामा पुत्र उंकार
12. गिरधारी पुत्र उंकार कौम गुर्जर साकिन खातेदार ग्राम दृ खेड.ा तहसील .जैतारण जिला.पाली (राज.)
13. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 117/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2312 रकबा 00–19 बीघा किस्म सेवज दोयम भूमि में वादी के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगाान
1	शांतिलाल पुत्र भंवरलाल जाति– भांबी ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया ब्यावर जिला अजमेर खातेदार	2312	0.0769	से0दो0	0.10

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

2	जैती उर्फ तेजी पत्नी चौथा हि. 1/16, श्रवण पुत्र चौथा हि. 1/16, नारायणी पुत्री चौथा हि. 1/16, सुन्दरी पुत्री चौथा हि. 1/16, कमली पुत्री चौथा हि. 1/16, मतिया पुत्री चौथा हि. 1/16, सन्तु पुत्री चौथा हि. 1/16, गणकी पत्नी कालू हि. 1/48, धीरकी पुत्री कालू हि. 1/48, नोरती पुत्री कालू हि. 1/48, रामा पुत्र उंकार हि. 1/4, गिरधारी पुत्र उंकार हि. 1/4, जाति गुर्जर सा. काणी खेड़ा खातेदार।	2312/3	0.0202	गै0दो0	0.03

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/09/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जैतारण, (जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	02	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	05	00	मिजानः–	–nil–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।